राष्ट्रीय एकीकरण एवं साम्प्रदायिकता

इन्दू
असि० प्रोफे०, समाजशास्त्र विभाग
धर्मेन्द्र सिंह मैमोरियल डिग्री कॉलिज, अटौला, मेरठ
Email: indus5386@gmail.com

सारांश

देश की एकता एवं अखण्डता के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, नृजातिवाद व प्रजातिवाद की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर भावना की जाग्रति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है। आधुनिक लोकतान्त्रिक की प्रक्रिया के बिना राष्ट्रीय एकीकरण के राष्ट्र निर्माण की कल्पना नही की जा सकती है क्योंकि जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद जैसे प्रमुख मुद्दे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक होते है। भारत दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास सर्वाधिक नृजातीय, साम्प्रदायिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता है इस विविधता का एकत्व बनाये रखने की चुनौती भी बहुत बड़ी है और इस एकत्व को सबसे बड़ा खतरा साम्प्रदायिकता (सम्प्रदायवाद) की विचारधारा से है। क्योंकि साम्प्रदायिकता की विचारधारा से आशय, जिसमें किसी धर्म, सम्प्रदाय या पंथ के आधार पर समूह विशेष के हितो पर बल दिया जाता है और उन हितो को राष्ट्रीय हितो से अधिक बल दिया जाता है। प्राथमिकता दी जाती है अपने स्वयं के धर्म, सम्प्रदाय या पंथ के प्रति निष्ठा भक्ति एवमं समर्पण दी अन्य धर्मो, पंथों के प्रति कटुतापूर्ण मनोवृत्ति ही साम्प्रदायिकता को जन्म देती है। इसलिए देश में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने तथा साम्प्रदायिकता से निपटने के लिए 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना की गई जिसकी नवीनतम बैठक 23 सितम्बर 2013 को दिल्ली में हुई। साम्प्रदायिक एवं लाक्षित हिंसा निवारण विधेयक 2013 संसद मे लम्बित है, जिसमें साम्प्रदायिक हिंसा से सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रिया को सुगम एवं दण्ड के प्रावधानों को सख्त बनाए जाने के प्रावधान है। अतः समाजीकरण एवं शिक्षा के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीयता, सद्भावना, सहिष्णुता एवं सेक्युलर मूल्यों की सीख दी जानी चाहिए तभी सम्प्रदायवाद पर नियन्त्रण सम्भव है।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय एकीकरण समाज के विभिन्न अनुभागों में संरचनात्मक सांस्कृतिक वैचारिक सांमजस्य और मैत्री भाव पर निर्भर है। भारत के संविधान में इन संगत मूल्यों और मानको का उल्लंघन प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की उद्घोषणाओं के द्वारा किया गया है। सरंचनात्मक समानता का अर्थ समाज के सभी वर्गो विशेषकर दलित वर्गो के लिए समान अवसर

से है। जाति पैतृकता और विरासत, अपवित्रता–पवित्रता आदि प्रदत्त कारको पर आधारित भेद भाव की अनुपस्थिति के द्वारा ही, राष्ट्रीय एकीकरण की सांस्कृतिक पूर्व अपेक्षाओं को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के बहुत कुछ सकारात्मक पहलू है। भावात्मक एकता की भावना को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय एकीकरण से लोगों को अनिष्टकारी शक्तियो के विरूद्ध लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। जब राष्ट्रीय एकता तीव्र और व्यापक रहती है तब तोडने वाली और विभाजन कारी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक अवधारणा है, और इसलिए विकास और सामाजिक परिवर्तन की गति इससे तेज हो सकती है। धर्म, क्षेत्र, भाषा और जाति एव वर्ण के आधार पर भारत में बहुलता है इस बहुलता प्रधान देश की सामाजिक व्यवस्था सोपानीय है जिसमे असमान प्रस्थितियों वाले समूह और व्यक्ति है। रोजगार एव शिक्षा के लिए संस्थानों और अवसरों की विभेदीय पहुँच वाले अनेक प्रस्थिति समूहों के परिणामस्वरूप हमारे सामने अनेक समस्याये भी है। भारत के संविधान में राष्ट्र की अखण्डता के बारे में उल्लेख ही परन्तु प्रश्न है क्या राष्ट्रीय एकीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताओं को बिना हटाए या कम किए प्रोत्साहित किया जा सकता है। हम जानते है कि पूर्ण सामाजिक व्यवस्था कभी हासिल नही की जा सकती, क्योंकि वास्तविकता में पूर्ण रूप से एक जैसे लोग नही मिल सकते फिर भी इन अन्तरो के बावजूद कम लाभान्वित और कमजोर वर्गो के लिए कुछ न्यूनतम संस्थागत उपायो और आधारभूत सुविधाओं को जुटाकर समाज के विभिन्न भागों में एकता मैत्रीभाव और समरूपता प्राप्त की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह नही है कि राष्ट्रीय विघटन का एकमात्र कारण आर्थिक असमानताएँ और विषमताएँ है। जिन समूहों मे आर्थिक विषमताएँ कम है उनमे भी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक आदि अनेक आयाम है। राष्ट्रीय एकीकरण समूह विशेष के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय परिवेश में उसकी सन्दर्भात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। भारत में मुसलमानों के एकीकरण की समस्या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से भिन्न है। क्योंकि वे सबसे बडे अल्पसंख्यक समूह है। अग्रेजी शासन ने पाकिस्तान का निर्माण ''साम्प्रदायिक पुरस्कार'' के रूप में किया था। हिन्दुओं की तुलना में मुसलमान आमतौर पर गरीब और पिछड़े है।

राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। क्या है। यह कहा जा सकता है कि समाज में ठहराव लाकर एकीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तन या संघर्ष का न होना भी एकीकरण की अवस्था कहा जा सकता है। परन्तु ठहराव के अन्तर्गत गतिहीनता या परिवर्तन और संघर्ष का अभाव एकीकरण के सूचक नही है। बल्कि वे विघटन के प्रतीक है। विकास परिवर्तन और गतिशील एकीकरण के साथ पाए जाते है। जो एकीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वह समाज को बंद या ठहराव की स्थिति में रखने की अपेक्षा कही अधिक महत्वपूर्ण है।

साम्प्रदायिकता राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एककीरण ऊपरी तौर पर साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय एकीकरण का सहअस्तित्व नही है। साम्प्रदायिक पुरस्कार नीति जो कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानो और हिन्दुओं को विभाजित करने के लिए लागू की थी ताकि वे ब्रिटिश राज के

विरूद्ध सगठित नही हो सके। ब्रिटिश राज ने मुसलमानों को एक पृथक राज्य की माँग करने के लिए उकसाया। राजभाषायी, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अन्तर को बढ़ा–चढ़ाकर इन दोनों समुदायों के बीच दरारे उत्पन्न करने में सफल भी हुआ ब्रिटिश शासकों ने अलगाव व प्रतिरोध उत्पन्न किया। प्रारम्भ में अग्रेजों ने मुसलमानों को हिन्दुओं के बराबर नही समझा। उसके उपरान्त ब्रिटिश राज ने मुसलमानों को उनके अर्थिक पिछड़ेपन और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हिन्दुओं के उत्थान के बार में जाग्रत किया मुसलमानों के लघु अल्पसंख्यक वर्ग तक ही ब्रिटिश शिक्षा पहुँच पाई। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने इन दोनों समुदायों में असमान बीज बोकर विघटन की शुरूआत की। विभिन्न कानूनी सुधारों के अन्तर्गत विधान सभाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्त्व के कारण मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच अलगाव मजबूत तथा एक दूसरे के बीच विद्रेश बढ़ा।

बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक खून खराबे के बाद जिन्ना के नेतृत्व 1947 में पाकिस्तान की स्थापना से साम्प्रदायिक समस्या का अन्त नही हुआ। 1947 के बाद समय–समय पर किसी भी पक्ष से थोड़ी सी उत्तेजना के आधार पर हिन्दू और मुसलमानों एक दूसरें से उलझ जाते है। पिछले कुछ वर्षो में अहमदाबाद, भिवंडी राँची, अलीगढ़, मेरठ, सूरत और अन्य कई शहरों में साम्प्रदायिक जहर, हिन्दू–मुस्लिम दंगों के रूप में उगलते हुए देखा गया है।''

राष्ट्र 'राष्ट्रीय एकीकरण' की स्पष्ट मान्यता यह है कि समाज के सदस्यों के आदर्श और आकांक्षाएँ भावात्मक बन्धन और मूल्यांकन एक से होने चाहिए। नवस्वतन्त्र देशों के सन्दर्भ में गुन्नार मिर्डल का मत है ''लोगों में एक सम्पूर्ण राष्ट्र की धारणा होनी चाहिए और इससे पहले कि वे यह सोचे कि राष्ट्रीय स्वंतत्रता ओर राष्ट्रीय संगठन उत्तम ध्येय है तथा अन्य ''आधुनिकीकरण आदर्श केवल स्वतंत्र और संगठित राष्ट्र राज्य होने की स्थिति में ही प्राप्त किए जा सकते है उन्हें इस धारणा (राष्ट्रवाद) को सकारात्मक मूल्यों की दृष्टि से देखना चाहिए। मिर्डल के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण'' राष्ट्रवाद के समतुल्य है। अर्थात उपनिवेशवाद के विरूद्ध राष्ट्र की भावना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साम्प्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद और अन्य विघटनकारी शक्तियों के विरूद्ध भावना ही राष्ट्रीय एकीकरण है।

राष्ट्रीय एकीकरण मुख्यता एक राजनैतिक प्रघटना है परन्तु विकास के लिए आयोजन और ''आधुनिकीकरण आदर्शों'' की प्राप्ति (भारत को बेहतर हेतु परिवर्तन) से राष्ट्रीय एकीकरण जुड़ा हुआ है। साम्प्रदायिकता एक संकुचित अवधारणा है जिसके अन्तर्गत किए बहुसाम्प्रदायिक समाज में किसी सम्प्रदाय विशेष के सदस्य अपने सम्पूर्ण समुदाय या उसके सदस्यों के हितो की रक्षा करते है, चाहे इस प्रयास में अन्य समुदायों के सदस्यों की कितनी ही हानि क्यों न हो। इस अवधारणा के समकक्ष अन्य संकुचित अवधारणायें भी है जैसे वर्ग, जाति, स्थान, क्षेत्र आदि। स्तरीकरण के अन्य आधारों में धर्म अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हिंसा के साथ साम्प्रदायिकता की उदय होती प्रवृत्ति ने धार्मिक अल्पसंख्यको में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है विशेष रूप मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई। भविष्य में भेदभाव तथा संघर्ष का खतरा महसूस करते है हो सकता है यह मात्र उनका भय हो। लेकिन राष्ट्र अपनी जनसंख्या के पाँचवें भाग के लोगों में सन्देह, असुरक्षा और भय बर्दाशत नही कर सकता। कश्मीर, उत्तर

प्रदेश, बिहार, गुजरात, आसाम, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश और दिल्ली में 1984 से 2000 के बीच घटी घटनायें इस बात का उदाहरण है कि साम्प्रदायिकता का रोगाणु वायरस, विविध रूपों में विनाशकारी प्रभाव पैदा करने लगा है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को संविधान में सुरक्षा प्रदान की गई है। जो फिर न्याय, सहिष्णुता, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन ऐसे युग मे जिसमें धार्मिक कट्टरवाद धार्मिक उन्माद असहिष्णुता और संकीर्णता में बदलती जा रही है। राम राज्य की कल्पना यदाकदा अल्पसंख्यकों द्वारा गलत समझी जाती है। विशेषकर मुसलमानों द्वारा, जिसका अर्थ है भगवान राम का शासन, अर्थात हिन्दु शासन। आतंकवादियों के छिपने को रोकने तथा उनकी क्रियाओं पर नजर रखने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस ही उपस्थिति को (जैसा कि 1985 में अमृतसर और नवम्बर 1993 तथा मई 1995 में कश्मीर में हुआ था) धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप समझा जाता है। देश की शान्ति व अखण्डता को बचाए रखने के लिए साम्प्रदायिकता तथा हिंसा विषयों के विश्लेषण एवं उन पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

साम्प्रदायिकता एक विचार धारा है जिसमें कहा गया है कि समाज धार्मिक समुदायों में विभक्त है जिनके हित भिन्न भिन्न है और कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल विरूद्ध होते है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरूद्ध किया गया शत्रुभाव ही 'साम्प्रदायिकता' कहा जा सकता है। यह शत्रुभाव विशेष समुदाय को गलत दोषारोपण, हानि पहुँचाने और जानबूझकर अपमानित करने के साथ ही साथ लूटपाट, मकानों और दुकानों में आगजनी तथा कमजोरो और असहायों को सताना, स्त्रियों को अपमानित करने तथा लोगों की हत्या तक चला जाता है। साम्प्रदायिक व्यक्ति वे होते है जो धर्म के माध्यम से राजनीति करते है नेताओं में वे धार्मिक नेता साम्प्रदायिक है जो अपने धार्मिक समुदायों को व्यापारी उद्यमों और संस्थाओं की तरह चलाते है और चिल्लाते है कि हिन्दुत्व, इस्लाम सिक्ख या इंसानियत खतरे में है, जैसे ही वे देखते है कि उनके संस्थानों मे दान की आमद कम हो चली है या फिर उनके नेतृत्व को चुनौती मिलने लगी है या फिर उनकी विचारधारा विवाद ग्रस्त हो चली है। इस प्रकार साम्प्रदायिक वह नही है जो धार्मिक व्यक्ति है बल्कि वह है जो धर्म से जुड़ी राजनीति करता है। यह शक्तिलोलुप राजनीतिज्ञ न तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सिक्ख है और न ही अच्छे पारसी और बौद्ध उन्हें खतरनाक राजनैतिक काई या झाग कहा जा सकता है उनके लिए ईश्वर और धर्म मात्र, यन्त्र है जिनका प्रयोग वे विलासी जीवन तथा समाज में परजीवी राजा की तरह व्यतीत करने में तथा राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करते है।

स्वतंत्रता के पश्चात पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में हमने लोकतंत्र को अपनाया परन्तु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ने सहज ही साम्प्रदायिक तत्वों को राजनैतिक प्रक्रिया में शामिल कर लिया और उसे जाने अनजाने में या जानबूझकर मजबूत भी किया है। भारत के प्रत्येक राजनीतिज्ञ और राजनैतिक दल ने बेहिचक धार्मिक नेतृत्व का उपयोग मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया है और धर्म के स्थान पर धर्मान्धता, धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर रूढ़िवादिता तथा शिक्षा के स्थान पर तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर मतदाताओं तक पहुँचने का सरल मार्ग अपनाया है।

परिणाम स्वरूप चुनावों के समय साम्प्रदायिकता की राजनीति ओर भी अधिक तेज हो जाती है, प्रत्येक दल सिद्धान्त के धरातल पर स्वयं को सबसे अधिक पंथनिरपेक्ष और 'वास्तविक पंथनिरपेक्ष' घोषित करता है। राजनीतिक प्रक्रिया में धर्म के साम्प्रदायिक उपयोग से राष्ट्रीय एकीकरण की अपूरणीय क्षति होती है और प्रत्येक राजनीतिक जनप्रक्रिया और जन आन्दोलन व्यक्ति की राष्ट्रीय अस्मिता और निष्ठा की भावना को कम करके उसकी धार्मिक अस्मिता और निष्ठा की अधिक मजबूत बना देता है। राष्ट्रीय हित राजनीतिक और साम्प्रदायिक हितो के सम्मुख गौण बन जाता है, तथा समाज और राष्ट्र का स्वस्थ विकास नही हो पाता। सम्प्रदायवाद की राजनीति तो इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि सम्पूर्ण समाज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों में विभाजित ही नही है, अपितु अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे है। पंजाब की समस्या, अयोध्या विवाद, गुजरात दंगे, मुस्लिम कट्टरवाद, मजहबी आतंकवाद और हिन्दुत्व का पुनः जागरण साम्प्रदायिक राजनीति की ही उपज है।

कम्युनलिज्म शब्दावली के मूल रूप से दो अर्थ है 1. सामुदायिकता की भावना 2. और कम्यून प्रणाली। यह कम्यून प्रणाली यूरोपीय राजनीति मे ऐसी व्यवस्था थी जिसमें छोटी–छोटी राजनीति इकाईयों (कम्युनों) को विधायी शक्तियाँ प्राप्त रहती थी। क्योंकि कम्युनलिज्म मूलतः कम्यूनस से बना है। जिसका अर्थ है–सहयोगात्मक भावना के साथ रहने वाला समूह, लेकिन बीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा के इस शब्द को नकारात्मक विचारधारा के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार कम्युनलिज्म एक ही राज्य क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न जातियो, सम्प्रदायों के बीच संघर्ष या तनाव की स्थिति का द्योतक हो गया। कम्युनलिज्म का हिन्दी रूपान्तरण समुदायवाद होना चाहिए साम्प्रदायिकता नही। प्रचलन के कारण हम से सेक्टेरियनिज्म के स्थान पर कम्युनलिज्म को साम्प्रदायिक या साम्प्रदायिकता कहने लगे है। भारत में कम्युनलिज्म का प्रयोग मुख्य रूप से सामाजिक धार्मिक समूह के बीच वैमनस्यता एवं शत्रुता की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रकार साम्प्रदायिकता या सम्प्रदायवाद दो समुदायों में विद्यमान विद्वेष, तनाव, संदेह या संघर्ष के भाव को व्यक्त करता है। यह तनाव सामान्यतः धर्म या पंथ, सम्प्रदाय, भाषा, प्रजाति, या नृजाति के तत्वों पर आधारित है अतः सम्प्रदायवाद का आशय किसी धर्म या सम्प्रदाय विशेष के हितों पर बल देने वाली विचार धारा से है। यह संकीर्ण मनोवृत्ति नस्लवाद, विरोधवाद एवं फांसीवाद से मेल खाती है।

साम्प्रदायिकता के कारण एवं परिणाम

विसेन्ट स्मिथ (1848–1920) के अनुसार साम्प्रदायिकता की विचारधारा में व्यक्ति या समूह प्रत्येक धार्मिक समूह को एक पृथक सामाजिक–राजनीतिक इकाई मानता है, जिसके हित अन्य समूहों के हितो से अलग एवं विरोधी होते है। इस प्रकार सम्प्रदायवाद के लिए पृथकतावादी मनोवृत्ति उत्तरदायी है। भारत में 1905 में बंगाल विभाजन के साथ साम्प्रदायिक राजनीति का सूत्रपात हुआ। इसके बाद 'अंग्रेजो की फूट डालो राज करो' नीति के तहत साम्प्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव व्यवस्था (1909 मार्ले मिन्टो अधिनियम) एवं लखनऊ पैक्ट (1916) ने देश में साम्प्रदायिक राजनीति को स्थापित कर अन्ततः इसका विभाजन करा दिया। देश में सम्प्रदायवाद

के लिए उत्तरदायी अनेक कारणों से प्रमुख है।

ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक भिन्नता, धार्मिक असहिष्णुता, भौगोलिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, साम्प्रदायिक संगठन, राजनीतिक स्वार्थ साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने में समाज विरोधी तत्वों एवं निहित स्वार्थ साधको का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते है जो तनाव एवं संघर्ष की स्थिति पैदा करते है। जिससे उन्हें लूटपाट करने एवं यौन–व्याभिचार करने का अवसर प्राप्त हो तथा वे अपने व्यक्तिगत झगड़ों का बदला ले सके। ऐसे लोग होली, दीवाली, रामनवमी, मुहर्रम, ईद आदि के अवसर पर जुलूस आदि पर पत्थर फेंकने, रंग छिड़कने आग लगा देने आदि का कार्य करते है, जिससे कि उपद्रव पैदा हो पंथनिरपेक्षता का लाभ उठाकर कई बार एक धार्मिक समूह ने एक दूसरे पर अपने आपको थोपने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप तनाव एवं संघर्ष पैदा हुए। जबरन धर्म परिवर्तन भी कई बार सम्प्रदायवाद का कारण बन जाता है। उपर्युक्त सभी कारक इस बात को स्पष्ट करते है कि भारत में साम्प्रदायिकता अनेक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक कारकों का मिश्रित फल है। आज इसकी जड़ गहराई से जम चुकी है। जिसे उखाड़ फेंकने के लिए सच्ची सेक्युलर भावना और प्रबल राजनीतिक इच्छा–शक्ति के साथ हद संकल्प सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक प्रयासों की आवश्यकता है। लम्बे समय से भारत में साम्प्रदायिकता फलती–फूलती रही है इसके कारण सम्पूर्ण राष्ट्र को कई प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ी है। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती रही है। साम्प्रदायिकता ने राष्ट्रीय एकीकरण में निम्न प्रकार से बाधा उत्पन्न की।

1 विभाजन, घृणा एवं अविश्वास
2 जन–धन की हानि
3 राजनीतिक दुष्प्रकार्य
4 तनाव एवं संघर्ष
5 असामाजिक तत्वों में वृद्धि
6 सामाजिक–सांस्कृतिक विघटन
7 आर्थिक विकास में बाधक

साम्प्रदायिकता की समस्या को हल करने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद् का गठन किया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक मे तय किया गया कि देश के सभी राजनीतिक दलों को जन साधारण में साम्प्रदायिक सद्भाव जाग्रत करने के लिए विचार विमर्श तथा शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश की प्रशासनिक इकाइयों को साम्प्रदायिक दंगों को भी समाप्त करने हेतु कठोर कदम उठाने चाहिए। प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के विरूद्ध कदम उठाया जाए।

गाँधी जी एवं विनोवा जी ने साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए 'शान्ति सेना' बनाने सुझाव दिया था जो विभिन्न स्थानो पर शान्ति कायम करने दंगों का दमन करने पारस्परिक

एकता पैदा करने का कार्य करे। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों द्वारा सहजीवन व्यतीत करने का सुझााव दिया जिससे प्रेम सद्भाव, मैत्री भाव पैदा होगा। साम्प्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि उनमे प्रखर राष्ट्रीयता जाग्रत हो, राष्ट्रभक्ति के भाव जागे और वे संकीर्ण स्वार्थो से ऊपर उठे बच्चों के समाजीकरण भी इसी तरह से किया जाना कि उनमें सेक्युलर मूल्यों का समावेश व राष्ट्रीयता की सद्भावना की मनोवृत्ति विकसित हो। देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने एवं भाई–चारा भावना बढ़ाने के उद्देश्य से 1961 मे राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थापना की गई। राष्ट्रीय एकता परिषद् की नवीनतम बैठक 23 सितम्बर 2013 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की यह 16वी बैठक थी, इसके पूर्व 15वीं बैठक 10 सितम्बर 2011 को हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद् की इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के उपायों को सुनिश्चित करना था।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 16 दिसम्बर 2013 को विवादित साम्प्रदायिक हिंसा निवारण विधेयक 2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस विधेयक का पूरा नाम साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय की पहुँच) विधेयक 2013 संसद में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई दलों के विरोध के बाद मूल विधेयक के संशोधित रूप को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने स्वीकृति दी संशोधित विधेयक में पूर्व के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के विभाजन को हटाकर इसे सभी समुदायों एवं समूहों के लिए तटस्थ स्वरूप दिया गया है साथ ही यह भी कि इसमे मूल विधेयक की तुलना मे केन्द्र की शक्तियों को कम करते हुए कि यदि राज्य सरकार साम्प्रदायिक हिंसा के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय केन्द्र की सहायता को आवश्यक समझती है तो वह केन्द्र से सशस्त्र केन्द्रीय बलो की तैनाती के लिए कह सकती है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मूल विधेयक मे बिना राज्य सरकारों की सहमति के केन्द्र को साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भेजने की एकपक्षीय शक्ति प्रदान की गई थी। यह इस विधेयक को विभिन्न दलों द्वारा देश के संघीय ढाँचे के विरूद्ध मानते हुए विरोध का प्रमुख मुद्दा था। इस कानून मे साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए कड़े एवं सख्त प्रावधान किए गए है।

भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को और अधिक प्रबल बनाने के लिए अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे है तथा इनके मार्ग मे आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे है। जातिवाद जनजातिवाद, साम्प्रदायिकता जैसी ही व्याधियों को ही समाप्त करने के लिए **राष्ट्रीय एकता परिषद् एवं 'अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति'** तथा राष्ट्रीय एकता कार्य दलो का निर्माण सरकार ने इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए किया है साथ ही हमे यह नही भूलना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक राज्य है तथा आधुनिक शिक्षा के प्रसार तथा सभी धर्मो को प्रत्येक क्षेत्र मे समान्तर के अवसर प्रदान करके भारतीय संविधान ने अल्पसख्यको को भी सुरक्षा प्रदान की है। अतः भारत में एक सम्पर्क भाषा का विकास भी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अनिवार्य हो ताकि सभी वर्गो एवं सम्प्रदायों के लोग मिलकर राष्ट्रीय एकीकरण में भाग ले सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आहुजा राम, *'भारतीय समाज'* रावत पब्लिकेशन्स (2000) पेज नं० 235
2. सारस्वत, प्रकाश आनन्द, *'साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीय एकीकरण'* स्वरूप एण्ड सन्स पब्लिकेशन (1991) पेज नं० **121**
3. शर्मा के०एल०, *'भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन'* रावत पब्लिकेशन (2006) पेज नं० **297–299**
4. शर्मा लाल गोवर्धन, *'सामाजिक मुद्दे'* रावत पब्लिकेशन (2015) पेज नं० **277**
5. शर्मा लाल गोवर्धन, *'सामाजिक मुद्दे'* रावत पब्लिकेशन (2015) पेज नं० **282–287**
6. आहुजा राम, *'भारतीय समाज'* रावत पब्लिकेशन (2000) पेज नं० **236**
7. डे आफ्टर, जून 1990 पेज नं० **35–36**